हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/8/19 वकील उभयपक्ष उप०। मूल वाद के निर्णय तक भूमि ख० नं० 404/0.33 ग्राम मढ़ूकलां की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु एवं सक्षम स्वीकृति के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
26/2019	8.5.2019	19-12-2019

1. शिवचरण पुत्र मदनलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. छोटूपुत्र मदनलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. नौरत्या पत्नी रामनारायण, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. राधेश्याम पुत्र रामनारायण, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. राजाराम पुत्र राधेश्याम, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संतोष कुमार वर्मा,एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री दुर्गा प्रसाद गुर्जर,एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण एवं दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 की सह खातेदारी की भूमि ख0नं0 404 रकबा 0.33 है0 ग्राम महूकलां में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि ख0नं0 406 प्रार्थीगण की एवं अन्य सहखातेदारों की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित है लेकिन अप्रार्थीगण झगडालू एवं गुन्डा प्रवृति के व्यक्ति हैं जो ताकत के बल पर प्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदारों की भूमि ख0नं0 404 में वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में से उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम करीब 8 फीट चौडी भूमि को दबाते हुए बाउन्ड्रीबाल बनाना चाहते हैं जिसके लिए अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.4.2019 को सुबह प्रार्थीगण की 8 फीट भूमि को दबाते हुए नींव खोदना शुरू किया। प्रार्थीगण ने मौके पर जाकर मना किया तो ये लोग प्रार्थीगण से झगडा करने पर आमादा हो गए एवं प्रार्थीगण को धमकी दी कि वे उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 406 में मिलाकर इसमें बाउण्ड्रीवाल बनायेंगे। प्रार्थीगण ने अन्य सह खातेदारों से इस सम्बन्ध में आपत्ती की तो उन्होने प्रार्थीगण के साथ दावे में वादी बनने से इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों की भूमि ख0नं0 404 रकबा 0.33 है0 ग्राम महूकलां में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 9 रामनारायण तीनो सगे भाई हैं। दावे में दर्ज अन्य प्रतिवादीगण बाबा, काका की सन्तान हैं। दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 13 ने बाबूलाल धाबाई से ख0नं0 406 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी जो प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 9 की भूमि ख0नं0 404 के पास स्थित है। भूमि ख0नं0 404 में दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 9 रामनारायण का 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी मोत्या दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 9 की पत्नी है। अप्रार्थी नं0 1 ने ख0नं0 404 में अपने हिस्से की भूमि लेते हुए बाउण्ड्रीवाल बनाई जो सही है, प्रार्थी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 9 जो कि प्रार्थीगण का बडा भाई है, ने दोनों प्रार्थीगण को उनका बराबर हिस्सा दे दिया। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि में प्लाट बनाकर विक्रय कर दिए। अब दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 9 के पास प्रार्थीगण जाकर उधार रूपए मांगते हैं तो वह इनको मना कर देता है। प्रार्थीगण की नियत खराब है और वे आये दिन शराब के लिए पैसे मांगते हैं इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को परेशान व हैरान करने के लिए यह मुकदमा किया है जो खारिज होने योग्य है। यदि अप्रार्थीगण गलत बाण्उड्रीवाल करते तो दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 ता 12 को भी आपत्ती होती परन्तु उन्होने कोई उज्र नहीं किया है। इसी से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस एवं एक फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने शपथ पत्र रामनारायण गुर्जर प्रस्तुत किया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/15, 1/15 हिस्सा है। प्रार्थीगण की भूमि के पास ही उत्तर–पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि में जबरन नींव खोद रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मौके का एक फोटोग्राफ भी प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की भूमि में नींव खोदकर उसका कब्जा करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा है परन्तु प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को प्लाटों के रूप में विक्रय कर चुके हैं। अप्रार्थी नं0 1 के पति एवं प्रार्थीगण के भाई रामनारायण का भी वादग्रस्त भूमि में 1/15 हिस्सा है। एक सहखातेदार

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है क्योंकि भूमि में सभी सहखातेदारों का भूमि में हिस्सा होता है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 406 में ही नींव खोदने का कार्य कर रहे हैं, ख0नं0 404 में अप्रार्थीगण ने कोई नींव नहीं खोदी है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। भूमि ख0नं0 404 ग्राम महूकलां नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों की खातेदारी में दर्ज है। भूमि अविभाजित है एवं कृषि भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भूमि का विधिवत विभाजन हुए बिना एवं सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई भी पक्ष भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि नींव खोदने का कार्य अप्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 406 में ही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि ख0नं0 404 रकबा 0.33 है0 ग्राम महूकलां में सक्षम स्वीकृति के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं करने एवं भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखना हमारी राय में उचित है जिसके लिए उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि उभयपक्षकारान मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख0न0 404 रकबा 0.33 है0 ग्राम महूकलां में सक्षम स्वीकृति के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं करें एवं भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 19-12-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.01.15 11:42:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: